विश्व शान्ति का गाँधीय प्रतिमान : प्रविधि एवं रणनीति

गाँधीजी ने विश्व शान्ति का न केवल अवधारणात्मक वर्णन किया है, वरन् स्वयं गाँधी ने शान्ति के लिए शान्ति उपायों की विविध तकनीकों का प्रयोग भी विभिन्न आन्दोलनों में किया है। गाँधीजी द्वारा चलाये गये विभिन्न आन्दोलन अहिंसा व शान्ति की प्रविधि व रणनीति पर आधारित थे। महात्मा गाँधी ने दक्षिण-अफ्रीका से लेकर भारत तक सत्य एवं अहिंसा के अपने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप से सफलता दिलवाई। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति का विरोध शान्तिमय उपायों से किया।

महात्मा गाँधी ने अपने विचारों में शान्ति सेना नाम के एक संगठन के विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने इसका ध्येय शान्तिमय समाज का निर्माण करना बताया था। आज विश्व में शान्ति की स्थापना के लिए ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों की आवश्यकता है। अणुयुग में शान्ति की आकांक्षा मानव सभ्यता की सबसे पवित्र धरोहर है, क्योंकि विज्ञान ने हमारे सामने शान्ति का एकमात्र विकल्प सर्वनाश ही रख छोड़ा है।

शान्ति की स्थापना शान्ति के संगठन से ही होगी और शान्ति के इस संगठन को ही शान्ति सेना कहते हैं। शस्त्र के द्वारा शान्ति की स्थापना होना असंभव है। दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी ने अत्याचारों के विरुद्ध जो रणनीति बनाई, उसे उन्होंने भारत में भी अपनाया। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं भारत छोड़ो आन्दोलन सहित अन्य सभी महत्त्वपूर्ण आन्दोलनों में गाँधी ने अहिंसा एवं सत्य के अपने सिद्धान्तों को नहीं छोड़ा। बहिष्कार, उपवास, हिजरत आदि उनके अहिंसक अस्त्र थे। उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धान्तों को प्रयोगात्मक रूप देकर विश्व को शान्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया एवं उपनिवेशवादी ताकतों से मुक्ति दिलाई।

दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष की राह

गाँधी जब लंदन से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके आये, तब उन्होंने मुम्बई और राजकोट में कुछ मुकदमे लड़े। लेकिन यहाँ रहकर उन्हें ज्यादा कमाई के अवसर नहीं मिल रहे थे। उन्हें इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने का अवसर मिला।

Scanned with CamScanner

गाँधी दक्षिण अफ्रीका जाने को तैयार हो गए, क्योंकि इस मुकदमे को लड़ने से उन्हें नया देश देखने का मौका मिलने वाला था, साथ ही अनुभव भी। यह मुकदमा लड़ने के उन्हें 105 पौण्ड मासिक मिल रहे थे। इस समय वे पूरी तरह से वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। लेकिन उन्हें न मालूम था कि वे 25 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में ही बिता देंगे।

मई, 1893 में गाँधी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल बन्दरगाह पहुँचे। नेटाल के बन्दरगाह को डरबन कहते हैं। स्टीमर के घाट पर पहुँचने पर गाँधीजी ने देखा कि वहाँ हिन्दुस्तानियों की ज्यादा इज्जत नहीं थी। यहाँ वे सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए आये थे। इस बारे में गाँधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, अब्दुल्ला सेठ को पहचानने वाले उनके साथ जैसा बरताव करते थे, उसमें भी मुझे एक प्रकार की असभ्यता दिखायी पड़ी थी। अब्दुल्ला सेठ इस असभ्यता को सह लेते थे। वे उसके आदी बन गये थे।[1]

यहाँ पहुँचने पर धीरे-धीरे वे यहाँ के माहौल को जानने व समझने लगे और परिवर्तन एवं विचारों की आंधी उनके मन व मष्तिष्क में अपने पैर जमाने लगी। यहाँ आगे हम उन सभी घटनाओं की चर्चा करेंगे, जिन्होंने गाँधी को महात्मा गाँधी बनाया और महात्मा गाँधी ने अपने विचारों को वास्तविक रूप देने के लिए क्या प्रविधि रणनीति अपनाई।

1. पगड़ी प्रकरण

जब अब्दुल्ला सेठ अपने मुकदमे के सिलसिले में गाँधी को डरबन की अदालत दिखाने लेकर गये, तब वहाँ के मजिस्ट्रेट ने गाँधी को उनके सामने पगड़ी उतारने को कहा। मजिस्ट्रेट के कहने पर गाँधी ने पगड़ी नहीं उतारी, क्योंकि मजिस्ट्रेट का यह आदेश उन्हें अशोभनीय लगा। गाँधी ने पगड़ी उतारने के स्थान पर अदालत से बाहर जाना उचित समझा। बाद में गाँधीजी ने पगड़ी उतारने का कारण जब अब्दुल्ला सेठ से पूछा तो उन्होंने गाँधीजी को समझाया कि मुसलमानी पोशाक पहना हुआ आदमी अपनी मुसलमानी पगड़ी पहन सकता है, पर दूसरे हिन्दुस्तानियों को अदालत में पैर रखते ही अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए।

गाँधीजी के लिए पगड़ी पहनने का प्रश्न एक महत्त्व का प्रश्न बन गया। पगड़ी उतारने का मतलब था, अपमान सहन करना। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वे हिन्दुस्तानी पगड़ी पहनना छोड़ कर अंग्रेजी टोपी पहन लें ताकि वे पगड़ी उतारने के अपमान से बच सकें एवं कोई विवाद भी न हो। लेकिन अब्दुल्ला सेठ ने कहा कि यदि आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आप यहाँ वेटर जान पड़ेंगे। साथ ही अपनी देशी पगड़ी पहनना ही आपको शोभा देगा।

Scanned with CamScanner

कुल मिलाकर उन्हें अब्दुल्ला सेठ की दलील अच्छी लगी। अतः उन्होंने पगड़ी के किस्से को लेकर अपने और पगड़ी के बचाव में समाचार-पत्रों के नाम एक पत्र लिखा इस पगड़ी प्रकरण को लेकर समाचार-पत्रों में गाँधीजी की खूब चर्चा हुई। अनवेलकम विजिटर-अवांछित अतिथि, शीर्षक से अखबारों में उनकी चर्चा हुई और तीन-चार दिन के अन्दर ही वे अनायास दक्षिण अफ्रीका में प्रसिद्धि पा गये और गाँधीजी के सर पर पगड़ी भी बंधी रही। यहीं से वे अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द करने लगे और अपने विचारों को साकार रूप देने लगे।[2]

2. रेल में अपमान

गाँधीजी को अपने मुकदमे के सिलसिले में प्रिटोरिया जाना था। गाँधीजी दक्षिण अफ्रीका पहुँचने के बाद सातवें-आठवें दिन डरबन से रवाना हुए। उन्होंने पहले दर्जे का टिकट कटवाया और ट्रेन में बैठ गये। ट्रेन लगभग नौ बजे नेटाल की राजधानी मेरिव्सबर्ग पहुँची। वहाँ एक यात्री आया। उस यात्री को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वह स्वयं श्वेत वर्ण का होते हुए भिन्न वर्ण के व्यक्ति के साथ बैठे। वह वहाँ से बाहर गया तथा अपने साथ एक-दो अफसरों को लेकर आया। अफसरों के साथ जब वह गाँधीजी के समीप आया तो उनमें से अफसर ने गाँधीजी से कहा, इधर आओ, तुम्हें आखिरी डिब्बे में जाना है। इसके प्रतिउत्तर में गाँधीजी ने कहा, मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। अफसर ने कहा इसकी कोई बात नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, आखिरी डिब्बे में ही जाना है।

गाँधीजी ने इस बात का विरोध किया एवं कहा कि उन्हें इसी डिब्बे में बैठाया गया है और वे इसी डिब्बे में बैठकर अपनी यात्रा सम्पूर्ण करेंगे। गाँधीजी के न मानने पर अफसर ने सिपाही को बुलाने की धमकी दी। गाँधीजी ने कहा, तो फिर सिपाही भले उतारे, मैं खुद तो नहीं उतरूंगा।

गाँधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है - सिपाही आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धक्का देकर मुझे नीचे उतार दिया। मेरा सामान उतार दिया। मैंने दूसरे डिब्बे में जाने से इंकार कर दिया। ट्रेन चल दी। मैं वेटिंग रूम में बैठ गया। अपना हैण्डबैग साथ में रखा। बाकी सामान को हाथ न लगाया। रेलवे वालों ने उसे कहीं रख दिया। दक्षिण अफ्रीका की सर्दी ऊँचाई वाले प्रदेशों में बहुत तेज होती है, मेरिव्सबर्ग इसी प्रदेश में था। इससे खूब ठण्ड लगी। मेरा ओवरकोट मेरे सामान में था। पर सामान मांगने की हिम्मत न हुई। फिर अपमान हो तो? ठण्ड से मैं कांपता रहा। कमरे में दीया न था।[3]

ट्रेन से उतारे जाने के अपमान से गाँधीजी बहुत दुःखी थे। उन्होंने विचार किया कि या तो उन्हें अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए या लौट जाना चाहिए। मुकदमा अधूरा छोड़ना कायरता होगी। उन्हें यहाँ जो रंगद्वेष का मनोरोग फैल गया है, उसे मिटाने में

Scanned with CamScanner

अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चाहे फिर उन्हें ऐसा करते समय कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़ें। इस तरह का निश्चय करके गाँधीजी ने दूसरी ट्रेन में जैसे भी हो, आगे जाने का फैसला किया। उन्होंने दूसरे दिन सुबह जनरल मैनेजर को शिकायत का लम्बा तार भेजा। अब्दुल्ला सेठ को भी खबर भेजी। सेठ तुरन्त जनरल मैनेजर से मिले। जनरल मैनेजर ने अपने आदमियों के व्यवहार का बचाव किया, लेकिन यह आश्वासन दिया कि उन्होंने गाँधीजी को बिना किसी रुकावट के उनके गन्तव्य स्थान तक पहुँचने हेतु स्टेशन मास्टर से कह दिया है।

रात्री को ट्रेन आयी। उसमें गाँधीजी के लिए जगह तैयार थी। ट्रेन सुबह चार्ल्स टाउन पहुँची। वहाँ से जोहान्सबर्ग के लिए ट्रेन नहीं थी, घोडों की सिकरम थी। जैसे-तैसे करके गाँधीजी प्रिटोरिया पहुँचे।[4]

इस यात्रा के दौरान गाँधीजी को जो अपमान का कड़वा घूँट पीना पड़ा, उसने गाँधीजी के जीवन का लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया। जिन वास्तविक गाँधी की आज चर्चा दुनिया में की जाती है, उस गाँधी का जन्म दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया यात्रा के दौरान हुआ।

3. भारतीय मताधिकार प्रतिबन्धक कानून के विरुद्ध संघर्ष

गाँधीजी जिस मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गये थे, वह खत्म हो गया था। इस कारण उनका प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण न रह गया था, वे लौट कर डरबन आये और हिन्दुस्तान लौटने की तैयारी करने लगे। अब्दुल्ला सेठ ने गाँधीजी को विदा करने से पूर्व सिडनहैम में उनके सम्मान में सामूहिक भोज रखा। उस दिन गाँधीजी पूरा दिन वहाँ थे। बैठे-बैठे जब वे अखबार पढ़ रहे थे, तब अखबार के एक कोने में उन्होंने एक छोटा-सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था - इण्डियन फ्रेंचाईज अर्थात् हिन्दुस्तानियों का मताधिकार। उस संवाद का यह आशय था कि हिन्दुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है, वह छीन लिया जाए।[5]

इस इण्डियन फ्रेंचाइज कानून के बारे में ज्यादातर लोग अपरिचित थे। गाँधीजी ने सभी को इस कानून का महत्त्व समझाया और कहा कि यदि यह कानून पारित हो गया तो यहाँ के सभी भारतीयों का अस्तित्व संकट में आ जायेगा। सरकार द्वारा कानून पास करने का मतलब है कि भारतीय आबादी को मिटाने का पहला कदम। गाँधीजी की बात सभी को महत्त्वपूर्ण जान पड़ी और उनसे एक महीना और रूकने का अनुरोध किया। गाँधीजी इस सार्वजनिक सेवा के काम को करने के लिए और रूकने को तैयार हो गए। इस मुकदमे के लिए गाँधीजी ने अपनी कोई फीस नहीं ली, लेकिन तार भेजने, साहित्य छापने, यहाँ-वहाँ जाने, अन्य वकीलों की सलाह एवं कानून की पुस्तकें जुटाने के लिए

Scanned with CamScanner

कुछ पैसों की तो आवश्यकता थी, वह सभी ने थोड़ा-थोड़ा करके पूरा करने का आश्वासन दिया।

इस कानून के विरोध के लिए सेठ हाजी मुहम्मद के सभापतित्व में अब्दुल्ला सेठ के घर एक सभा हुई, जिसमें फ्रेंचाइज बिल का विरोध करने का निश्चय किया गया। स्वयंसेवकों के नाम लिखे गये। उक्त संकट के समय ऊँच-नीच, छोटे-बड़े, मालिक नौकर, हिन्दु-मुसलमान, पारसी-ईसाई, गुजराती, मद्रासी, सिन्धी आदि भेद समाप्त कर सब भारत की संतान और सेवक थे।

इसके बाद गाँधीजी ने धारा सभा के अध्यक्ष को तार भेजा कि वे इस बिल पर अधिक विचार करना मुल्तवी कर दें। इसी आशय का तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन और दादा अब्दुल्ला के मित्र के नाते मि. एस्कम्ब को भेजा गया। गाँधीजी द्वारा भेजे गये इस तार का प्रभाव पड़ा तथा तार का जवाब आया कि अध्यक्ष ने बिल की चर्चा दो दिन के लिए मुल्तवी कर दी है।

इसके बाद प्रार्थना-पत्र तैयार किया गया। रातों रात उसकी प्रतियाँ बनाई गई अथवा उन पर अधिक से अधिक सहियां ली गईं। इस प्रार्थना-पत्र को अखबार में छपने भेजा गया। उस पर अनुकूल टिप्पणियाँ भी सामने आयी, जिनका धारा सभा पर काफी असर हुआ। प्रार्थना-पत्र में दी गई दलीलों का खण्डन करने वालों को उत्तर दिये गए।

गाँधीजी की इस कार्यवाही से वहाँ के नौजवानों के साथ-साथ व्यापारिक वर्ग में भी जागृति आयी। वे अपने व्यापारिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने हेतु सक्रिय हुए। चाहे यह बिल पारित हुआ, लेकिन इसके विरोध में आवाज उठाने से वहाँ के लोग जागृत हुए एवं अपने सुरक्षित अस्तित्व के लिए आवाज बुलन्द करने की उनमें शक्ति आई।

नेटाल इण्डियन काँग्रेस की स्थापना

गाँधीजी ने वकालत के साथ-साथ भारतीय मताधिकार कानून के विरुद्ध आन्दोलन चलाने का निश्चय किया। इस हेतु उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। 22 मई, 1884 को विधिवत् नेटाल इण्डियन कांग्रेस का जन्म हुआ। भारतीय मताधिकार आन्दोलन के अलावा कांग्रेस ने अन्य कार्य भी किये। इनका दूसरा अंग उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों की सेवा करना था। इस हेतु कॉलोनियल बॉर्न इण्डियन एजुकेशनल एसोसिएशन (उपनिवशों में जन्मे हुए भारतीयों का शिक्षा मण्डल) की स्थापना की गई। इसके अधिकतर सदस्य नवयुवक थे। इसके द्वारा उनकी आवश्यकताओं का पता चलता था और उनकी विचार-शक्ति बढ़ती थी।

Scanned with CamScanner

नेटाल इण्डियन कांग्रेस का तीसरा कार्य दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों में और बाहर इंग्लैण्ड तथा हिन्दुस्तान में नेटाल की सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालना था। इस हेतु गाँधीजी ने दो पुस्किाएँ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती और भारतीय मताधिकार एक विनती लिखकर प्रकाशित करवाई, जिससे इंग्लैण्ड में और हिन्दुस्तान में सब पक्षों की ओर से मदद मिल सकी और कार्य करने की दिशा प्राप्त हुई। गाँधीजी का यह तरीका उनके सत्याग्रह सिद्धान्त का एक व्यावहारिक रूप था। इसी तरह गाँधीजी ने अपने प्रत्येक कार्य में अपने विचारों की छाप छोड़ी थी।[7]

4. वकील सभा द्वारा गाँधीजी के न्यायालय में प्रवेश पर रोक

नेटाल के न्यायालय की वकील सभा ने गाँधीजी को एक नोटिस भेजा। जिसमें न्यायालय में उनके प्रवेश का विरोध किया गया था। यहाँ पर मुख्यत: मामला रंगभेद का था। लेकिन उसमें एक कारण यह था कि वकालत के लिए दिये गये प्रमाण-पत्र के साथ उन्होंने मूल प्रमाण-पत्र नत्थी नहीं किया था। पर विरोध का मुख्य मुद्दा यह था कि अदालत में वकीलों की भर्ती करने के नियम बनाते समय यह सम्भव न माना गया होगा कि कोई काला या पीला आदमी कभी प्रवेश के लिए प्रार्थना-पत्र देगा।[8]

उक्त विरोध के समर्थन में वकील सभा ने एक प्रसिद्ध वकील को नियुक्त किया। इन वकील की पहचान सेठ अब्दुल्ला के साथ थी। उसने सेठ अब्दुल्ला के मार्फत गाँधीजी को बुलवाया। उसने सेठ अब्दुल्ला से शपथ-पत्र तैयार करवा कर सन्तोष प्रकट किया। पर वकील सभा को सन्तोष न हुआ। उन्होंने गाँधीजी के विरुद्ध अपना विरोध न्यायालय में प्रस्तुत किया।

न्यायालय में मि. एस्कम्ब का जवाब सुने बिना ही वकील सभा का विरोध रद्द किया एवं मुख्य न्यायाधीश ने कहा, प्रार्थी के असल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की दलील में कोई सार नहीं है। यदि उसने झूठी शपथ ली होगी तो उसके लिए झूठी शपथ का फौजदारी मुकदमा चल सकेगा एवं उसका नाम वकीलों की सूची में से निकाल दिया जायेगा। न्यायालय के नियमों में काले-गोरे का कोई भेद नहीं है। हमें मि. गाँधी को वकालत करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। मि. गाँधी आप शपथ ले सकते हैं।[9]

गाँधीजी उठे, उन्होंने शपथ ली। यह शपथ उन्होंने रजिस्ट्रार के सम्मुख ली। रंगभेद के विरुद्ध यह उनकी पहली प्रमुख सफलता थी। इस सन्दर्भ में गाँधीजी ने लिखा है, वकील सभा के विरोध ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे लिए दूसरे विज्ञापन का काम किया। ज्यादातर अखबारों ने मेरे प्रवेश के विरोध की निन्दा की और वकीलों पर ईर्ष्या का दोष लगाया। इस विज्ञापन से मेरा काम किसी हद तक सरल हो गया।[10]

Scanned with CamScanner

इस प्रकार की बड़ी सफलता ने गाँधीजी के विचारों को और शक्ति दी तथा उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाली हर मुसीबत एवं अन्याय का सामना उन्होंने सत्याग्रह व अहिंसा की शक्ति के साथ किया।

5. गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों पर 25 पौण्ड का कर

नेटाल सरकार ने गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों पर 25 पौण्ड का कर अर्थात् 375 रुपये का कर लगाने के कानून का मसविदा तैयार किया। यह कर गाँधीजी को हिन्दुस्तानियों के हित में न लगा। उन्होंने स्थानीय कांग्रेस में इस मामले को रखा ताकि इस कर के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दिलवाएँ।

जिस समय यह कर लगाने का प्रस्ताव आया, उस समय लॉर्ड एलविन वॉयसराय थे, उन्होंने बातचीत के बाद 25 पौण्ड का कर तो नामंजूर कर दिया परन्तु वैसे प्रत्येक हिन्दुस्तानी से 3 पौण्ड का कर लेने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने हिन्दुस्तान के हित के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। नेटाल के गोरे लोगों को इस प्रकार की सुविधा देना बिल्कुल उचित नहीं था। तीन-चार साल के बाद यह कर हर गिरमिट मुक्त हिन्दुस्तानी की स्त्री से और उसके हर 16 साल और उससे बड़ी उम्र के लड़के और 13 साल या उससे बड़ी उम्र की लड़की से भी लेने का निश्चय किया गया। इस प्रकार पति-पत्नी और बच्चे वाले कुटुम्ब से, जिसमें पति को अधिक से अधिक 14 शिलिंग प्रतिमास मिलते हों, 12 पौण्ड का कर लेना, भारी जुल्म था। दुनिया में कहीं भी इस स्थिति के गरीब लोगों से ऐसा भारी कर नहीं लिया जाता था।

इस कर के विरुद्ध गोरों से लड़ाई छिड़ी। यदि नेटाल इण्डियन कांग्रेस की ओर से कोई आवाज न उठाई जाती, तो शायद वॉयसराय 25 पौण्ड का कर मंजूर कर देते। लेकिन अन्त में सत्य की विजय हुई। इस सन्दर्भ में गाँधीजी ने लिखा भी है, यदि कौम हारकर बैठ जाती, कांग्रेस लड़ाई भूल जाती तो वह कर आज तक गिरमिटिया हिन्दुस्तानियों को और समूचे हिन्दुस्तान को लगता।[10]

6. जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह

दक्षिण अफ्रीका में गाँधीजी के समक्ष चुनौतियाँ एक के बाद एक करके सामने आती रही। 22 अगस्त, 1906 को दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल - सरकार ने एशियाई कानून संशोधन के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका में रह रहे एशियाई मूल के लोगों के अधिकारों में कटौती की गई थी। इसके विरोध में लगभग 3000 भारतीय प्रवासी 11 सितम्बर, 1906 को जोहान्सबर्ग में एकत्रित हुए। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ ली कि उपर्युक्त बिल पास होने पर वे अहिंसक साधनों से उसका विरोध करेंगे।

Scanned with CamScanner